17/7/2017 पत्रावली पेश हुई। जैर सावन मोहन राय
उ0प्र0 हल्का एवं लेखपाल एवं कानूनगो
की आख्या प्राप्त हुई। जिसमें अंकित है कि
परगना हल्का व तहसील में मौजा कोनरियार
के ख0नं0 456 रकबा 0.066 हेक्टेयर किता
भूमि बंजर खाता पर सम्वत 2074 से जैर
सायल के जरिए रकबा लगाकर नाजायज अधिग्रहण
करने के सम्बन्ध में पी0सी0 रिपोर्ट पेश किया।
जिस पर इस न्यायालय में राजस्व उ0प्र0 राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला

अ0नि0 सावन राय

प्रकरण में अत: गैर सायल के विरुद्ध LR Act 1956 की

धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया और साक्ष्य

उप. हुआ एवं सुना गया गैर सायल के 3 बार अवसर दिये

उक्त अतिक्रमित रकबे की राजकीय भूमि को हटा लेने हेतु

स्वयं द्वारा स्वीकार किया यथासंभव कृषि भूमि

रास्ते की भूमि पर किये अतिक्रमण को जो निज रूप से

बेदखल करने एवं भूमि के उपयोग का

प्रयास मुकदमा [illegible] किसी मामले के

निर्देश दिए जाते हैं। पटवारी हल्का [illegible] को

मौजा [illegible] के खसरा नं 456 रकबा 0.06

में मु. रास्ते पर जो [illegible] बेदखल करने के आदेश

दिए जाते हैं एवं पत्रावली [illegible] को 21/- (इक्कीस रुपये मात्र)

तामील करने के निर्देश दिए जाते हैं।

[illegible] सूचना मांग [illegible] हेतु [illegible] को

[illegible] पत्रावली [illegible] हो कर [illegible]

हो [illegible] निर्णय आज दि 17/7/2017 को

सुनाया गया।

तहसीलदार, रियां बड़ी
(नागौर - राजस्थान)